स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या 99, दिनांक 30–03–2025

थाना क्षेत्र विकासनगर जनपद लखनऊ में हुई लूट की घटना का अनावरण, घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइण्ड को उसके 02 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 30–03–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को डकैती, लूट करने वाले गिरोह के मास्टरमाइण्ड प्रेम बहादुर सिंह को उसके 02 साथियो के साथ जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– प्रेम बहादुर सिंह पुत्र पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी कटरा तरौना, थाना औरास, जनपद उन्नाव उम्र लगभग 32 वर्ष।

2– सोनेन्द्र सिंह पुत्र रामबली सिंह निवासी कटरा तौराना, थाना औरास, जनपद उन्नाव उम्र लगभग 28 वर्ष।

3– गौरव मिश्रा पुत्र राज किशोर मिश्रा निवासी बाबा मंदिर के पास, आजाद नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद हरदोई हाल पता म0नं0 489, गली नं0 1, अमर विहार कालोनी, लोनी गाजियाबाद उम्र लगभग 23 वर्ष।

बरामदगीः–

1. लूटे गए रुपयों में से 50 हजार रुपये।
2. घटना में लूटा गया मोबाइल फोन।
3. एक अदद बोलेरो (लूट में प्रयुक्त),
4. एक अदद अवैध तमंचा 30.06 बोर।
5. 03 अदद जिंदा कारतूस।
6. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
7. 02 अदद जिंदा कारतूस।
8. 02 अदद मोबाइल।
9. जामा तलाशी से प्राप्त 1790/– रूपये

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

आवासीय परिसर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र लखनऊ ग्राउंड के गेट के सामने, थाना–विकासनगर, जनपद लखनऊ, 30–03–2025 समय सायं 20:35 बजे।

जनपद लखनऊ व आस पास के जनपदों में गैंग बनाकर लगातार लूट/डकैती करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईओं/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना विकासनगर जनपद लखनऊ में हुई लूट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 46/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत हुआ था। जिसके सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि विकास नगर में हुयी लूट की घटना में वांछित अभियुक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र लखनऊ ग्राउंड के गेट के पास मिलने वाले हैं। इस सूचना पर उ0नि0 तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 पीयूष

पाठक, उ0नि0 हरीश सिंह चौहान, मु0आ0 विनोद यादव, मु0आ0 कृष्णकांत, मु0आ0 शिवानन्द शुक्ला की टीम द्वारा उ0नि0 रणधीर सिंह गौर व मु0आ0 1749 बहादुर सिंह को साथ लेकर उक्त स्थान पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त प्रेम बहादुर सिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष–2023 में पंकज अग्रवाल के यहां ड्राइवर का काम करता था, कुछ दिन काम करके छोड़ दिया था। उसके बाद पिछले 01 महीने से फिर उनके यहां ड्राइवरी का काम करने लगा था। कई बार पंकज अग्रवाल अपने साथ कलेक्शन के काफी रूपये लेकर आते जाते थे, जिसे यह देखता रहता था। इसके अलावा इनका मुनीम अमित सैनी पंकज अग्रवाल के अलग अलग स्टोर व अन्य स्थानों से रूपये अपनी बाइक से इकठ्ठा करता था, उसके बारे में भी इसको जानकारी थी। उन पैसा को लूटने के लिए उसने अपने चचेरे भाई सोनेन्द्र सिंह के साथ प्लान बनाया। सोनेन्द्र सिंह ने कहा कि यह काम एक आदमी का नहीं है इसके लिए 4–5 आदमियों की जरूरत पडेगी। इसके बाद सोनेन्द्र ने गौरव मिश्रा व अन्य आदमियों को तैयार किया। इसने सोनेन्द्र सिंह को रूपये लाने वाले आदमी के बारे में व मोटरसाइकिल का नम्बर बताया, जिसके बाद इन सभी लोगों (सोनेन्द्र, वैभव सिंह ,सुशील मिश्रा, सतीश सिंह अनुज मौर्या, व गौरव मिश्रा) ने रेकी करके लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके पास से बरामद पैसे के बारे में पूछने पर बताया कि लूट के पैसे में से जो इसे हिस्सा मिला था वही पैसा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना थाना–विकासनगर, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 46/2025 धारा 309(4) बीएनएस पूर्व से पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना थाना–विकासनगर, जनपद लखनऊ द्वारा की जा रही है ।